

अनिवार्य प्रतिबंध

COVID-19 के फैलाव को धीमा करने और स्वास्थ्य प्रणाली की सुरक्षा करने के लिए संपूर्ण एल्बर्टा-भर में अनिवार्य जनस्वास्थ्य दिशानिर्देश प्रभावी हैं।

जनसमूह

इनडोर जनसमूह

निजी इनडोर सामाजिक जनसमूहों में एक ही घरबार और साथ में एक अन्य घरबार से कुल मिलाकर अधिकतम 10 उपस्थितगण की सीमा है, बशर्ते सभी लोग टीकाकृत हों। 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है।

जिन लोगों को टीका नहीं लगा है, उनके लिए इनडोर सामाजिक जनसमूहों में शामिल होने पर निषेध है।

आउटडोर जनसमूह

आउटडोर निजी सामाजिक जनसमूहों के लिए हर समय 2 मीटर की शारीरिक दूरी के साथ अधिकतम 20 लोगों की सीमा है।

विवाह और अंतिम संस्कार

इनडोर विवाह समारोहों और अंतिम संस्कार सेवाओं में 50 लोगों, या अग्नि संहिता उपस्थिति की 50% संख्या की अनुमति है, इनमें से जो भी कम हो।

यदि मेजबानी करने वाली सुविधा प्रतिबंध अपवाद कार्यक्रम (Restrictions Exemption Program) लागू न करे, तो इनडोर विवाहों और अंतिम संस्कारों के लिए रिसेप्शन का निषेध है।

आउटडोर समारोहों, सेवा आयोजनों और रिसेप्शनों में अधिकतम 200 लोगों की अनुमति है। यदि मेजबानी करने वाली सुविधा प्रतिबंध अपवाद कार्यक्रम (Restrictions Exemption Program) लागू न करे, तो एल्कोहल की बिक्री रात के 10 बजे और इसका सेवन 11 बजे तक समाप्त हो जाना चाहिए।

उपासना स्थल

उपासना के सभी स्थलों में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने वालों की संख्या अग्नि संहिता उपस्थिति की 1/3 हिस्से तक सीमित है। मास्क पहनना अनिवार्य है। एक घरबार से आने वाले लोगों को हर समय अन्य घरबारों से 2 मीटर की दूरी पर रहना होगा।

मास्क और शारीरिक दूरी

सभी इनडोर सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों और उपासना स्थलों में मास्क पहनना और शारीरिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य है।

यदि कर्मि कार्य स्टेशन में अकेले न हों, तो सभी इनडोर कार्य परिवेशों में कर्मियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है।

घर से कार्य करना

यदि कार्य-नियोक्ता ने परिचालन की प्रभाविता के लिए भौतिक उपस्थिति नियत नहीं की है, तो घर से कार्य करना अनिवार्य है।

प्रतिबंध अपवाद कार्यक्रम (Restrictions Exemption Program)

व्यवसायों के लिए या तो प्रतिबंध अपवाद कार्यक्रम (Restrictions Exemption Program) लागू करना अनिवार्य है, जिसमें 12 वर्ष और इससे अधिक आयु के लोगों को टीकाकरण का प्रमाण या नकारात्मक रैपिड जाँच परिणाम दिखाना होगा, या उन्हें क्षमता और परिचालन प्रतिबंधों का पालन करना होगा। मास्क पहनना अभी भी आवश्यक होगा।

व्यवसायों को कार्यक्रम के लिए आवेदन नहीं करना होगा।

प्रतिबंध अपवाद कार्यक्रम (Restrictions Exemption Program) इनके लिए लागू नहीं होता है:

- ऐसे व्यवसाय, जिन्हें दैनिक जीवन के लिए एक्सेस किए जाने की आवश्यकता होती है
- कार्यक्रम में भाग लेने वाले व्यवसायों के कर्मचारी
- 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे

व्यवसायों के लिए प्रतिबंध

इनडोर रिटेल, मनोरंजन और मनबहलाव की सुविधाएँ प्रतिबंध अपवाद कार्यक्रम (Restrictions Exemption Program) लागू न करने वाली किसी भी इनडोर सुविधा को

अनिवार्य प्रतिबंध

COVID-19 के फैलाव को धीमा करने और स्वास्थ्य प्रणाली की सुरक्षा करने के लिए संपूर्ण एल्बर्टा-भर में अनिवार्य जनस्वास्थ्य दिशानिर्देश प्रभावी हैं।

अपनी क्षमता को अग्नि संहिता उपस्थिति की 1/3 संख्या तक सीमित करना होगा और उपस्थितगण के लिए केवल घर के सदस्यों के साथ, या अगर वे अकेले रहते हों, तो 2 निकट संपर्कों के साथ ही रहने की आवश्यकता लागू करनी होगी।

आउटडोर आयोजन और सुविधाएँ

आउटडोर घटनाओं और स्थानों के लिए कोई क्षमता प्रतिबंध (शौचालयों के अलावा) लागू नहीं हैं, लेकिन लोगों को अलग-अलग घरबारों के बीच, या अकेले रहने वाले व्यक्ति-विशेषों के साथ उनके 2 निकट संपर्कों के बीच 2 मीटर की दूरी बनाए रखनी होगी।

रेस्तरां, कैफे, बार, पब और नाइटक्लब

निम्नलिखित प्रतिबंध उन व्यवसायों के लिए लागू होते हैं, जो प्रतिबंध अपवाद कार्यक्रम (Restrictions Exemption Program) लागू नहीं करते हैं।

- इनडोर बैठकर भोजन करने की अनुमति नहीं है।
- एक टेबल पर अधिकतम 6 लोगों के साथ केवल आउटडोर भोजन (अकेले रहने वाले लोगों के लिए 2 निकट संपर्क)
- एल्कोहल की बिक्री और सेवन से संबंधित प्रतिबंध लागू हैं (बिक्री रात के 10 बजे समाप्त, सेवन 11 बजे समाप्त)।

खेल, फिटनेस, मनोरंजन और प्रदर्शन गतिविधियाँ

वयस्क (18 वर्ष से अधिक आयु)

निम्नलिखित प्रतिबंध उन सुविधाओं या कार्यक्रमों के लिए लागू होते हैं, जो प्रतिबंध अपवाद कार्यक्रम (Restrictions Exemption Program) लागू नहीं करते हैं:

- इनडोर सामूहिक कक्षाओं व गतिविधियों की अनुमति नहीं है।
- टीकाकरण से अपवाद प्राप्त होने की स्थिति के अलावा इनडोर प्रतियोगिताओं पर प्रतिबंध है।
- एक-के साथ-एक इनडोर प्रशिक्षण और एकल गतिविधियों के लिए 3 मीटर की शारीरिक दूरी के साथ अनुमति है।

बाहरी गतिविधियाँ बिना किसी प्रतिबंध के जारी रह सकती हैं।

युवा (18 वर्ष से कम आयु)

इनडोर सामूहिक कक्षाओं, प्रशिक्षण, और प्रतियोगिताओं की अनुमति है, लेकिन प्रतिभागियों के लिए यह अनिवार्य है कि वे:

- लक्ष्यों के लिए स्क्रीनिंग करें
- 2 मीटर की शारीरिक दूरी बनाए रखें। इसमें गतिविधि करते समय युवाओं के लिए अपवाद है
- मास्क पहनें। इसमें गतिविधि करते समय युवाओं के लिए अपवाद है

दर्शकगण की संख्या अग्नि संहिता क्षमता की 1/3 उपस्थिति तक सीमित है। उपस्थितगण एक ही घरबार से आने वाले लोग होने चाहिए, अथवा जो लोग अकेले रहते हैं, उनके साथ केवल 2 निकट संपर्क होने चाहिए तथा उन्हें मास्क पहनना होगा और 2 मीटर की शारीरिक दूरी बनाए रखनी होगी।

बाहरी गतिविधियाँ बिना किसी प्रतिबंध के जारी रह सकती हैं।

दिवसकालीन और रात में रुकने वाले शिविर

दिवसकालीन शिविरों में प्रतिभागियों को अपने बीच 2 मीटर की शारीरिक दूरी बनाए रखनी होगी और उन्हें इनडोर होने पर मास्क पहनना होगा।

रात में रुकने वाले शिविरों के लिए कोहोर्ट मॉडल का पालन करना अनिवार्य होगा।